श्रीमती स्वीटी सीमा हेम्ब्रम, माननीय स॰वि॰स॰ से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–अ॰–08 का उत्तर–प्रतिवेदनः–

प्रश्न संख्या–अ॰–08	उत्तर सामग्री
क्या यह बात सही है कि संथाली भाषा के भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित रहने के बावजूद बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित भाषाओं में संथाली भाषा को सम्मिलित नहीं किया गया है, यदि हाँ तो सरकार कबतक संथाली भाषा को बिहार लोक सेवा आयोग की भाषाओं में सम्मिलित करने का विचार रखती है?	स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किसी क्षेत्रीय भाषा के सम्मिलित होने के कारण राज्यों के लोक सेवा आयोग की संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के ऐच्छिक विषय के रूप में सम्मिलित करने का न तो संवैधानिक प्रावधान है और न अनिवार्यता ही है। अतः संथाली भाषा को बिहार लोक सेवा आयोग की भाषाओं में सम्मिलित करने का तत्काल प्रस्ताव नहीं है।

ज्ञापांक–21/आयोग(वि॰स॰)–01/2016/सा॰प्र॰ 10664 / पटना–15, दिनांक 10-11-2020

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय को आश्वासन संख्या–39/2016 के क्रम में इस अनुरोध के साथ कि इसे लंबित आश्वासन की सूची से विलोपित करने की कृपा की जाय।/अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–13, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को गै.स.प्रे. संख्या–15 दिनांक–07.10.2020 के क्रम में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

09.11.2020

सरकार के अवर सचिव।

श्री अख्तरूल ईस्लाम शाहीन, माननीय सदस्य बिहार विधान सभा द्वारा पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–गृह–184 (क्रम सं0–3260) का उत्तर सामग्री

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– 1. क्या यह सही है कि वर्ष 2019–20 में राज्य में पुलिस अवर निरीक्षक (दारोगा) नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है ;	वस्तुस्थिति यह है कि पुलिस अवर निरीक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या–01/2019 प्रकाशित किया गया है। चयन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
2. क्या यह सही है कि उक्त भर्ती प्रक्रिया में महिला कोटि के अभ्यर्थियों की ऊँचाई माप 160 से०मी० होने के कारण बहुतेरे अभ्यर्थी नियुक्ति प्रक्रिया में भाग नहीं ले पा रहे हैं ;	वस्तुस्थिति यह है कि विज्ञापन संख्या–01/2019 के अन्तर्गत अनारक्षित वर्ग, पिछड़ा वर्ग एवं अन्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊँचाई 160 सेन्टीमीटर तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊँचाई 155 सेन्टीमीटर निर्धारित है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीककारात्मक हैं, तो सरकार वर्तमान पुलिस अवर निरीक्षक बहाली में महिला अभ्यर्थियों की न्यूनतम ऊँचाई 152 से०मी० लागू करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	वस्तुस्थिति यह है कि गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार, पटना के अधिसूचना ज्ञापांक–9186, दिनांक 05.11.2019 के द्वारा सभी वर्गों की महिला उम्मीद्वारों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 155 से०मी० निर्धारित किया गया है। गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार, पटना के पत्रांक–3157, दिनांक 13.04.2020 के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि उक्त अधिसूचना के प्रावधान अधिसूचना निर्गत होने के बाद की नियुक्ति प्रक्रियाओं पर ही लागू होंगे। उक्त अधिसूचना निर्गत होने के पूर्व प्रकाशित विज्ञापनों के संदर्भ में तत्समय प्रवृत नियम ही लागू होंगे। चूँकि यह अधिसूचना विज्ञापन संख्या–01/2019 के प्रकाशन के बाद निर्गत हुआ है। अतः उक्त अधिसूचना इस विज्ञापन पर लागू नहीं होगा।

बिहार सरकार
गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

ज्ञापांकः–8/वि0स0–10–05/2020 गृ0आ0/ 6537 पटना, दिनांक 1/10/20

प्रतिलिपिः– प्रशाखा प्रदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय को उनके पत्र ज्ञाप–375/वि0स0, दिनांक–16.03.2020 के प्रसंग में/प्रभारी पदा0, प्रशाखा–पी0, गृह विभाग (विशेष शाखा) गृह विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

30.09.20

(गिरीश मोहन ठाकुर)
सरकार के अवर सचिव

दीवार का निर्माण

श्री संजय सरावगी, माननीय स०वि०स० द्वारा बिहार विधान सभा के चलते सत्र में दिनांक 20.03.2018 को पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या–कला–56

माननीय मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग का उत्तर

	प्रश्न	उत्तर
(क)	क्या यह बात सही है कि दरभंगा शहर के ऐतिहासिक रामबाग किला की दीवारें वर्ष 2015 में आये भूकम्प में क्षतिग्रस्त हो गई है।	उत्तर स्वीकारात्मक है। दीवारों में आंशिक रूप से दरारें आ गई है।
(ख)	क्या यह बात सही है कि उक्त किला की दीवार के क्षतिग्रस्त होने से इसके अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है।	उत्तर स्वीकारात्मक है।
(ग)	यदि उपर्युक्त खंडो के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार उक्त किला के दीवार को कबतक संरक्षित करने का विचार रखती है, नही तो क्यो ?	यह स्थल राज्य के पुरातात्विक अधिनियम के अन्तर्गत सुरक्षित नही है। जिला पदाधिकारी, दरभंगा के पत्रांक–315, दिनांक 07.08.2019 के द्वारा बताया गया कि वर्तमान में उक्त किला पर बिहार सरकार बनाम राज दरभंगा का अपील वाद सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा है, चुँकि मामला न्यायालय में है। अतः वर्तमान सत्र में सरकार द्वारा उक्त स्थल को संरक्षित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

बिहार सरकार
कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

ज्ञापांक –5पुरा/प्र.1–05/2018....18..../ पटना, दिनांक 31/01/2020

प्रतिलिपिः– श्री संजय सरावगी, माननीय स0वि0स0, बिहार, पटना/उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/श्री उमाशंकर यादव, प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय (05 प्रतियों में) के ज्ञाप संख्या–3310–11, दिनांक–08.03.2018 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(तारानन्द महतो वियोगी)
सरकार के उप सचिव।

(12)

बिहार विधान सभा सचिवालय
प्राप्ति तिथिः 03·02·2020
केन्द्रीय डाक सं०: 454

श्री अजीत शर्मा, माननीय स0वि0प0 द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-1285 का प्रश्नोत्तर।

क्र0सं0	प्रश्न	उत्तर
1	2	3
1	क्या यह बात सही है कि भागलपुर नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत सुन्दरवती महिला कॉलेज से मिर्जान हॉल्ट के तीसरे किलोमीटर में पुर (आर0ओ0बी0) का डीपीआर पथ निर्माण विभाग से तीन माह पहले बनकर योजना एवं विकास विभाग में गया है लेकिन आजतक उक्त डीपीआर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, यदि हाँ तो सरकार उक्त पुल का निर्माण कराने का विचार रखती है, नही तो क्यों ?	स्वीकारात्मक। विषयगत प्रस्ताव पथ निर्माण विभाग से लोक वित्त समिति की बैठक में विचारार्थ रखने हेतु प्राप्त हुआ था, लेकिन पथ निर्माण विभाग को उपलब्ध संसाधन के Bank of Sanction की राशि से अधिक राशि का दायित्व सृजित रहने के फलस्वरूप विषयगत परियोजना के प्रस्ताव को लोक वित्त समिति के समक्ष नहीं रखा जा सका। वर्तमान में इस परियोजना से संबंधित प्रस्ताव को पथ निर्माण विभाग को वापस किया जा चुका है।

बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग

ज्ञापांक: यो07 / गु0क्षे0वि0यो0-18 / 2020 3930 / यो0वि0, पटना, दिनांक 21 दिसम्बर, 2020

प्रतिलिपि: प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना को तारांकित प्रश्न संख्या 1285 दिनांक 11.02.2020 के आलोक में पाँच प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/12/2020
(सतीश कुमार शर्मा)
अपर सचिव

उत्तर प्राप्त 15

बिहार विधान सभा सचिवालय
प्राप्ति तिथि: 22/12/2020
केन्द्रीय डाक सं० 6460

Planning/Assembly question

श्री राजेश कुमार, मा०स०वि०स० से प्राप्त अतारांकित प्रश्न संख्या–133(लघु–01) का उत्तर प्रतिवेदनः–

श्री राजेश कुमार, मा०स०वि०स० से प्राप्त अतारांकित प्रश्न संख्या–133(लघु–01) क्या मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः–	श्री संतोष कुमार सुमन माननीय मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, द्वारा दिया जाने वाला उत्तरः–
(क) क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिला के नबीनगर प्रखण्ड अंतर्गत पंचायत रामनगर के पहरलेवा एवं खोड़ी पहाड़ी को जल–जीवन–हरियाली योजना के तहत बाँधना अति आवश्यक है;	स्वीकारात्मक।
(ख) यदि हाँ तो सरकार कबतक उक्त वर्णित स्थल पर बाँध का निर्माण करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	प्रश्नाधीन स्थल का निरीक्षण किया गया है। योजना का सर्वेक्षण कराया जा रहा है। यह क्षेत्र घोषित वन क्षेत्र के नजदीक है तथा योजना के कुछ भाग वनक्षेत्र में भी आने की संभावना है। वन विभाग से सहमति प्राप्त होने पर DPR तैयार कर क्रियान्वयन कराया जायगा।

बिहार सरकार

लघु जल संसाधन विभाग

ज्ञापांकः–प्र०–4 / ल०ज०सं० / वि०स० / अतारां०–184 / 20 4672 / पटना, दिनांकः– 16/12/20

प्रतिलिपिः–प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा को उनके पत्रांक–1622 दिनांक–7.08.2020 के क्रम में (पाँच प्रतियों में) सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

14/12

सरकार के अवर सचिव

D:\B-V-S–3-07-20–6-7-20\Laghu-\Q-L-01.docx

माननीय श्री सदानन्द सिंह, स०वि०स० से प्राप्त अतारांकित प्रश्न।
सं०:– पथ–01 (BLAQRMS No.-90) :–

क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

प्रश्न	उत्तर
1. क्य यह बात सही है कि भागलपुर जिला अन्तर्गत सुल्तानगंज से लेकर मिर्जा चौकी तक एन0एच0–80 के मिर्जा चौकी से लेकर भागलपुर जीरो माईल तक प्रत्येक दिन 8 हजार से अधिक ओवर लोड ट्रकों के परिचालन से उक्त पथ 2–3 फीट गहरे गड्ढ़े में तब्दील हो गयी है, जिससे प्रत्येक दिन सड़कों पर जाम लगा रहता है और आम जनता त्रस्त रहती है, यदि हाँ तो सरकार उक्त पथ की मरम्मति हेतु ठोस निर्णय लेते हुए राजस्व की हो रही करोड़ों रूपये की क्षति रोकने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	वस्तुस्थिति यह है कि मिर्जाचौकी के खदानों से स्टोन मेटेरियल तथा NTPC से Fly Ash की ढुलाई करते हुए मिर्जाचौकी से लेकर भागलपुर जीरोमाईल तक प्रत्येक दिन 8 हजार से अधिक ओवरलोडेड ट्रकों का परिचालन होता है। वर्ष 2019 में एन0एच0–80 के (कि0मी0 136 से 166) पथांश में मरम्मति तथा बिटुमिनस कार्य कराया गया था किन्तु उसी वर्ष के माह जुलाई में बाढ़ आने एवं जीरोमाईल से कहलगाँव के बीच के पथांश पर पानी चढ़ जाने के कारण वर्णित पथांश क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसकी सतत् मरम्मति कराई जा रही है। प्रतिदिन ओवरलोडेड वाहन के परिचालन से इस पथांश में गड्ढ़े पड़ जाते हैं, जिसे भरने का कार्य किया जाता रहा है। पथ का वर्तमान प्रावधान/चौड़ाई के सापेक्ष वाहनों की संख्या काफी अधिक है, अतः नया ग्रीनफील्ड 4 लेन पथ बनाने हेतु निविदा की गई है। एन0एच0–80 घोरघट पुल से मिर्जाचौकी तक 10 मीटर चौड़ाई में PQC सड़क बनाने हेतु प्राक्कलन, स्वीकृति हेतु सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा जा रहा है। तदोपरान्त अग्रेत्तर कार्रवाई की जायेगी।

बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग 22-8(5)

ज्ञापांक : 6/पथ/अता0प्र0 (वि0स0) 08–46/2020 पटना, दिनांक : 12/1/2021
प्रतिलिपि : दो अतिरिक्त प्रतियों के साथ प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा को उनके ज्ञापांक 1624 दिनांक 07.08.2020 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उप सचिव (प्रशासन)
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

D:\Dhananjay\Letter\Atarankit prashn Letter\Atarankit S.D.S.docx

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह, मा0स0वि0स0 से प्राप्त अतारांकित प्रश्न संख्या लघु–18 (आनलाईन स0–3357) का उत्तर प्रतिवेदनः–

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह मा0स0वि0स0 से प्राप्त अतारांकित प्रश्न संख्या लघु–18 (आनलाईन स0–3357) क्या मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः–	श्री संतोष कुमार सुमन, माननीय मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार द्वारा दिया जाने वाला उत्तरः–
(क) क्या यह बात सही है कि सम्पूर्ण बिहार में नलकूप हेतु स्थायी ऑपरेटर नहीं रहने के कारण उसका संचालन नहीं हो रहा है, जिससे किसानों को सिंचाई में समस्या हो रही है;	आंशिक स्वीकारात्मक वर्तमान में 733 नलकूपों पर विभागीय कर्मचारी ऑपरेटर के रूप में कार्यरत है।
(ख) क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा ग्राम पंचायत को ऑपरेटर की व्यवस्था करने हेतु ग्राम पंचायत के मुखिया को 1 वर्ष पहले पत्र दिया गया है, लेकिन किसी भी पंचायत में अभी तक इसकी व्यवस्था नहीं की गयी है;	आंशिक स्वीकारात्मक विभागीय संकल्प सं0–992 दिनांक–4.2.2019 की कंडिका–7, में ग्राम पंचायतों द्वारा नलकूप चालकों के मानदेय का भुगतान किये जाने का प्रावधान है।
(ग) यदि उपर्युक्त खंडो के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार सभी ऑपरेटर विहीन नलकूपों को चालू कराने हेतु कौन–सी व्यवस्था कराने का विचार रखती है नही तो क्यों।	वर्तमान में 5103 नलकूप चालू हैं तथा 5137 नलकूप बन्द है। विभाग द्वारा सभी बन्द नलकूपों को चालू करने की कार्रवाई की जा रही है। अबतक 4220 अदद नलकूपों की मरम्मति के लिए योजना मद तथा गैर योजना मद में 172.00 करोड़ की राशि उपलब्ध करायी गयी है। जिसमें से कुल–1205 अद्द नलकूपों को चालू कर दिया गया है तथा शेष नलकूपों का कार्य प्रगति पर है। कार्य पूर्ण होते ही उन्हें चालू कर दिया जायेगा। विदित हो कि सभी नलकूपों को संचालन, सम्पोषण एवं रख–रखाव हेतु संबंधित ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित कर दिया गया है। वर्त्तमान में 733 नलकूपों पर विभागीय कर्मचारी ऑपरेटर के रूप में कार्यरत है, जिसमें से 192 नलकूप चालक है तथा शेष नलकूपों पर अन्य विभागीय कर्मियों से नलकूप चालक का कार्य लिया जा रहा है। विभागीय संकल्प सं0–992 दिनांक–04.02.2019 में ग्राम पंचायतो को ही नलकूप चालक रखने एवं उनके मानदेय का भुगतान किये जाने का प्रावधान है।

बिहार सरकार
लघु जल संसाधन विभाग

ज्ञापांकः–प्र0–4/ल0ज0सं0/वि0स0/अता0–115/20 4749 /पटना, दिनांकः– 17/12/20

प्रतिलिपिः–प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा को उनके पत्रांक–1318 दिनांक–14.05.2020 के क्रम में (पाँच प्रतियों में) सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0 17/12

सरकार के अवर सचिव

D:\B-V-S-3-07-20-6-7-20\Laghu-\Q-L-18.docx

श्रीमती एज्या यादव, मा०स०वि०स० से प्राप्त अतारांकित प्रश्न संख्या–1658 (लघु–08) का उत्तर प्रतिवेदनः–

श्रीमती एज्या यादव, मा०स०वि०स० से प्राप्त अतारांकित प्रश्न संख्या–1658 (लघु–08) क्या मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः–	श्री संतोष कुमार सुमन माननीय मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, द्वारा दिया जाने वाला उत्तरः–
क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत पटोरी प्रखंड के रूपौली एवं इमनसराय पंचायत में स्थित राजकीय नलकूप विगत 20 वर्षों से बंद रहने के कारण किसानों को सिंचाई में कठिनाई होती है;	आंशिक स्वीकारात्मक। समस्तीपुर जिलान्तर्गत पटोरी प्रखंड के रूपौली पंचायत में कुल–03 (तीन) अदद नलकूप है जिसमें से 02 चालू और 01 बंद है जिसकी स्थिति निम्न हैः– 01 रूपौली–01 यह नलकूप बंद है। 02 रूपौली–02 यह नलकूप चालू अवस्था में है। 03 रामगामा– यह नलकूप चालू अवस्था में है। इमनसराय पंचायत में कुल–05 अदद नलकूप है जिनमें से 01 चालू है और 04 बंद है जिसकी स्थिति निम्न हैः– 01– प्यारेपुर–1 यह नलकूप बंद है। 02–प्यारेपुर–2 यह नलकूप बंद है। 03–लगुनिया–यह नलकूप बंद है। 04–हथरूआ–1 यह नलकूप बंद है। 05– हथरूआ–2 यह नलकूप चालू अवस्था में है।
यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त राजकीय नलकूप को चालू कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	सरकार द्वारा लिये गए नीतिगत निर्णय के तहत राज्य के सभी नलकूपों का संचालन, सम्पोषण एवं रख–रखाव हेतु संबंधित ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित कर दिया गया है। रूपौली एवं इमानसराय पंचायत के 05 (पांच) अदद बंद नलकूप (रूपौली–01, प्यारेपुर–1, प्यारेपुर–2, लगुनिया एवं हथरूआ–1) का प्राक्कलन तैयार कराया गया है। विहित प्रक्रिया के तहत निधि उपलब्धता के अनुसार ग्राम पंचायत को राशि आंवटित कर नलकूप चालू करा दिया जायेगा।

बिहार सरकार

लघु जल संसाधन विभाग

ज्ञापांकः– प्र0–04/ल0ज0सं0/वि0स0/अतारां–107/20 4720 पटना/दिनांकः– 16·12·20

प्रतिलिपिः– प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा को उनके पत्रांक–1296 दिनांकः–12.05.2020 के क्रम में (पाँच प्रतियों में) सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/12

सरकार के अवर सचिव।

श्री मुद्रिका प्रसाद राय, मा0स0वि0स0 द्वारा पूछा जानेवाला अतारांकित प्रश्न संख्या–लघु–06 का उत्तर प्रतिवेदनः–

श्री मुद्रिका प्रसाद राय, मा0स0वि0स0 द्वारा पूछा जानेवाला अतारांकित प्रश्न संख्या–लघु–06 क्या मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः–	श्री संतोष कुमार सुमन माननीय मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, द्वारा दिया जाने वाला उत्तरः–
क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत तरैया प्रखंड स्थित ग्राम नारायणपुर के कनकुआ टोला में स्थापित नलकूप विगत 5 वर्षो से बन्द रहने के साथ ही निर्मित नाला जर्जर रहने से स्थानीय कृषको को सिंचाई कार्य में कठिनाई हो रही है;	आंशिक स्वीकारात्मक। सारण जिलान्तर्गत तरैया प्रखंड स्थित ग्राम नारायणपुर के कनकुआ टोला में स्थापित नलकूप नारायणपुर चालू अवस्था में है।
यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त नलकूप को चालू कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	राज्य सरकार द्वारा लिये गए नीतिगत निर्णय के तहत राज्य के सभी नलकूपों का संचालन, सम्पोषण एवं मरम्मति का कार्य संबंधित ग्राम पंचायतों के माध्यम से किया जाना है। इस क्रम में सभी नलकूपों को ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित कर दिया गया है। फिलहाल विभाग द्वारा नलकूपों के नाला का निर्माण नहीं कराया जा रहा है। ग्राम पंचायत अपने स्तर से मनरेगा अथवा अन्य माध्यम से नाला का मरम्मति करवा सकती है।

बिहार सरकार

लघु जल संसाधन विभाग

ज्ञापांकः– प्र0–04/ल0ज0सं0/वि0स0/अतारां–111/20 ५७२१ पटना/दिनांकः– १६.१२.'२०

प्रतिलिपिः– प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा को उनके पत्रांक–1185 दिनांकः–08.05.2020 के क्रम में (पाँच प्रतियों में) सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/12

सरकार के अवर सचिव।

D:\New folder\B.V.S 2020\AAT-Laghu-06.docx

श्री सुनील कुमार, मा0स0वि0स0 से प्राप्त अतारांकित प्रश्न संख्या–3597 (लघु–04) का उत्तर प्रतिवेदनः–

श्री सुनील कुमार, मा0स0वि0स0 से प्राप्त अतारांकित प्रश्न संख्या–3597(लघु–04)	**श्री संतोष कुमार सुमन माननीय मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, द्वारा दिया जाने वाला उत्तरः–**
क्या मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः–	
(क) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला अन्तर्गत रूनीसैदपुर प्रखंड स्थित ग्राम प्रेम नगर में प्रेम नगर बीयर योजना का जीर्णोद्धार कार्य प्रारंभ है, जिसमें विभागीय पदाधिकारी एवं संवेदक की मिली भगत से प्राक्कलन के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है;	अस्वीकारात्मक। प्रश्नाधीन योजना का कार्य प्राक्कलन एवं विशिष्टियों के अनुरूप कराया जा रहा है।
(ख) यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त योजना का उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	खंड 'क' में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

बिहार सरकार

लघु जल संसाधन विभाग

ज्ञापांकः–प्र0–4 / ल0ज0सं0 / वि0स0 / तारां0–110 / 20 5773 / पटना, दिनांकः– 18/12/20

प्रतिलिपिः–प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा को उनके पत्रांक–1167 दिनांक–08.05.2020 के क्रम में (पाँच प्रतियों में) सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

18/12

सरकार के अवर सचिव

अद्यतन के बाद अपलोड 15.

D:\B-V-S--3-07-20--6-7-20\Laghu-\L---04.docx

श्री सत्यदेव राम, माननीय स0 वि0 स0 से प्राप्त अतारांकित प्रश्न संख्या–रा0–06:–

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेगें कि –	श्री राम सूरत कुमार मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
संख्या–रा–6, क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वैशाली जिला के विदुपुर अंचल के ग्राम सहदुल्लहपुर धोवौली के निवासी हरि भगवान शर्मा वल्द–सव. देवलाल ठाकुर (स्वतंत्रता सेनानी) जो अनुसूचित जनजाति से हैं कि पुश्तैनी जमीन खाता नं0–115, खेसरा नं0–1123 और 1152 रकबा क्रमशः 6 डिसमिल, 4 डिसमिल में कच्चा मकान था, पक्का मकान बनाने के लिए इंदिरा आवास आवंटन हुआ था ; उस जमीन पर सड़क का निर्माण पंचायत समिति सदस्या के पति द्वारा कर दिया गया है, यदि हाँ तो क्या सरकार श्री हरि भगवान शर्मा के जमीन को मुक्त कराकर सौंपने का विचार रखती है, नही तो क्यों ?	आंशिक स्वीकारात्मक है समाहर्त्ता, वैशाली द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा–सहदुल्लाहपुर धबौली, थाना नं0–287, खाता 115, खेसरा–1223, रकवा–0.06 डी0 एवं खेसरा–1152, रकवा–0.04 डी0 भू–खण्ड अन्य खेसराओं एवं रकवा के साथ देवलाल ठाकुर, पिता–रघुनी ठाकुर के नाम RS खतियान में इन्द्राज है। उक्त खेसरा अन्तर्गत 820 वर्ग फीट जमीन पर ईट सोलिंग पाया गया। स्थानीय लोगों से पूछताछ के क्रम में बताया गया की हरि भगवान शर्मा वल्द–देवलाल ठाकुर द्वारा ही अपने घर के बगल में अवस्थित टोला के लोगो के आने–जाने के लिए निजी भूमि से रास्ता दिया था, जो वर्त्तमान में चलायेमान है। उक्त कच्चे रास्ते पर स्थानीय लोगों के जनसहयोग से ईट सोलिंग का कार्य किया गया है। स्थानीय लागो द्वारा यह भी बताया गया की देवलाल ठाकुर की मृत्यु के पश्चात् उनके पुत्र हरि भगवान शर्मा वो विजय शर्मा वो सुरजदेव शर्मा अपनी उक्त रास्ता की भूमि निजी भूमि मानकर अवरोध वो विवाद किया जा रहा है। जाँच के क्रम में यह भी निष्कर्ष निकला है कि हरि भगवान शर्मा की पत्नी तेतरी देवी के नाम से 2009–10 में इन्दिरा आवास का लाभ लिया गया था जो उनके निजी जमीन में आवास का निर्माण हुआ है, जिसमें वो सपरिवार निवास कर रहे है। रैयती भूमि पर सक्षम न्यायालय के आदेश के पश्चात् ही अवैध दखल से मुक्त कराना नियमानुकूल होगा।

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक–7 / वि0स0अता0 (वैशाली)–02 / 2020– 15- (7)/रा0, पटना–15, दिनांक– 18/1/21
प्रतिलिपिः–पाँच अतिरिक्त प्रतियों के साथ प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा को ज्ञापांक–1602 वि0स0, दिनांक–19.03.2020 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Hi/-
(सुबोध कुमार),
विशेष कार्य पदाधिकारी।

बिहार विधान सभा अंत्र के बाद

उत्तर प्राप्त
5

(9)

बिहार विधान सभा सचिवालय
प्राप्ति तिथि: 19·01·21
केन्द्रीय डाक सं०: 448

D:\data d\2021\sec-7\govind ji\question\bidhan sabha\12-01-2021 memo.docx

माननीय श्रीमती लेशी सिंह, स०वि०स० से प्राप्त अतारांकित प्रश्न।
सं०:- पथ-42 :-

क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि पूर्णियां जिलान्तर्गत एन0एच0-31 फरियानी चौक से भाया चपघ, मजरा, भूड़ी होते हुए बहेलिया स्थान जाने वाली पथ के निर्माण कार्य में व्यापक अनियमितता करतते हुए गुणवत्तापूर्ण कार्य संपादित नहीं किय जा रहा है;	वस्तुस्थिति यह है कि कार्य प्राक्कलन एवं विशिष्टियों के अनुरूप कराया जा रहा है। कार्य की गुणवत्ता की जाँच के उपरान्त भुगतान किया जाता है। पथ निर्माण विभाग, बिहार के उड़नदस्ता प्रमंडल सं0-2 के द्वारा कार्यो का दिनांक-16.09.2020 को जाँच किया गया, जाँचफल संतोषप्रद पाया गया है। विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार गुणवत्ता की जाँच की जाती है।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त पथ के निर्माण कार्य में विभागीय पदाधिकारियों की मिलीभगत से तयमानक के अनुरूप कार्य नहीं कराये जाने के बावजूद भुगतान किया जा रहा है;	
3. यदि उपर्युक्त खंडो के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इसकी उच्चस्तरीय समिति से जाँच कराने तथा समिति में स्थानीय विधायक को भी शामिल करने का विचार रखती है ?	

बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

ज्ञापांक : 6/पथ/अता0प्र0 (वि0स0) 08-18/2020 6918(5) पटना, दिनांक : 15/12/2020
प्रतिलिपि : दो अतिरिक्त प्रतियों के साथ प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा को उनके ज्ञापांक 1161 दिनांक 06.05.2020 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उप सचिव (प्र0को0),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

D:\Dhananjay\Letter\Atarankit prashn- Letter\Atarankit S B S.docx

माननीय श्री सुबाष सिंह, स०वि०स० से प्राप्त अतारांकित प्रश्न।
सं०:– पथ–40 :–

क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि गोपागंज जिलान्तर्गत मानिकपुर खैरटिय पथ की दोनों तरफ घनी आबादी है, परन्तु नाला निर्माण नहीं होने से सड़क पर पानी जमा रहता है, जिससे सड़क भी टूट जाती है और दुर्घटनाएं घटती है, यदि हाँ तो सरकार कबतक वहां दोनों तरफ नाला का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ का R.C.C Drain के निर्माण हेतु अधीक्षण अभियंता, सारण पथ अंचल, हाजीपुर को प्राक्कलन समर्पित किया गया है, स्वीकृति के पश्चात कार्य करा लिया जाएगा।

बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग 230(S)

ज्ञापांक : 6/पथ/अता0प्र0 (वि0स0) 08–17/2020 पटना, दिनांक : 12/1/2021

प्रतिलिपि : दो अतिरिक्त प्रतियों के साथ प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा को उनके ज्ञापांक 1159 दिनांक 06.05.2020 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उप सचिव (प्र०का०)
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

अवर सचिव ... 15.

D:\Dhananjay\Letter\Atarankit prashn- Letter\Atarankit S.B.S.docx

6

माननीय श्री मुन्द्रिका प्रसाद राय, स०वि०स० से प्राप्त अतारांकित प्रश्न। सं०:– पथ–37 :–

क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत तरैया प्रखंड स्थित एस0एच0–104 पचरौर बाजार एवं तरैया बाजार में जल निकासी हेतु सड़क के किनारे नाला का निर्माण नहीं रहने से जल–जमाव के कारण आवागमन में कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त दोनों स्थानों पर सड़क किनारे जल निकासी हेतु नाला का निर्माण कराने का विचार रखती हे, नहीं तो क्यों ?	वस्तुस्थिति यह है कि OPRMC/25A के अन्तर्गत स्वीकृत छपरा–रेवाघाट पथ में 1000 मी0 नाला निर्माण को एस0एच0–73 (तरैया बाजार में) 600 मी0 तथा एस0एच0–104 (पचरौड़ बाजार में) 400 मी0 नाला निर्माण हेतु कार्यपालक अभियंता से प्राक्कलन की मांग की गई है। स्वीकृति के उपरान्त कार्य कराया जायेगा।

बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग 231(S)

ज्ञापांक : 6/पथ/अता0प्र0 (वि0स0) 08–09/2020 पटना, दिनांक : 12/1/2021

प्रतिलिपि : दो अतिरिक्त प्रतियों के साथ प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा को उनके ज्ञापांक 1309 दिनांक 12.05.2020 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उप सचिव (प्र0को0),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

Allotted के बाद उत्तर
15.

D:\Dhananjay\Letter\Atarankit prashn Letter\Atarankit S.B.S.docx

माननीय श्री फैयाज अहमद, स०वि०स० से प्राप्त अतारांकित प्रश्न। सं०:- पथ-35 :-

क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत बेलीरोड से जे०पी०सेतु को जोड़ने वाली नहर के पश्चिमी भाग पर निर्मित पथ के निकट अवस्थित लीड्स ऐशियन स्कूल, कुसुमपुरम कॉलोनी आदि दर्जनों मुहल्ले को जोड़ने वाली सड़क बुद्धा कैंसर सेंटर के पास नहर पथ में आकर मिलती है;	वस्तुस्थिति यह है कि लीड्स एशियन स्कूल, कुसुमपुर कॉलोनी इत्यादि कॉलोनीयों वर्णित रूपसपुर नहर पथ के पश्चिम में बसी हुई है। इन कॉलोनीयों का ground level से नहर पथ का level तकरीबन 3-4 मीटर ऊँचा है तथा कॉलोनीयों द्वारा बिना तकनीकी feasibility के उक्त पथ से अधिकांश स्थानों पर सम्पर्कता बनाया गया है जबकि रूपसपुर नहर के पश्चिम बांध पर जे०पी० सेतु को एम्स (एन०एच०-98) से जोड़ने हेतु dedicated पथ का निर्माण किया गया है तथा मुख्य पथ के पश्चिम में crash barrier बनाया गया है। सरकारी भूमि का पूर्ण उपयोग किया गया है जिसमें उक्त नहर पथ के पश्चिम में Slope के अनुसार पथ के Toe के उपरान्त सरकारी भूमि नगण्य है। सर्विस पथ बनाने हेतु भू-अर्जन की आवश्यकता होगी।
2. क्या यह बात सही है कि नहर पथ पर वाहनों का दवाब बढ़ने तथा कॉलोनी सड़क से नहर पथ की ऊँचाई अधिक होने के कारण उक्त स्थल पर आये दिन दुर्घटना की संभावना बनी रहती है;	
3. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बेलीरोड से लीड्स ऐशियन स्कूल तक नहर पथ से सटे पश्चिम सरकारी जमीन पर सर्विस पथ का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	

बिहार सरकार

पथ निर्माण विभाग

ज्ञापांक : 6/पथ/अता०प्र० (वि०स०) 08-11/2020 410(S) पटना, दिनांक : 21/01/21

प्रतिलिपि : दो अतिरिक्त प्रतियों के साथ प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा को उनके ज्ञापांक 1307 दिनांक 12.05.2020 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उप सचिव (प्र०अ०)
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

बिहार के बाद अर्जुन 15.

D:\Dhananjay\Letter\Atarankit prashn- Letter\Atarankit S B S.docx

माननीय श्री सुनील कुमार, स०वि०स० से प्राप्त अतारांकित प्रश्न।
सं०:– पथ–26 :–

क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी डुमारा प्रखंड स्थित चौक से भाया हुसैना होते हुए बरियापुर किसान कॉलेज तक जाने वाली सड़क विगत 10 वर्षों से जर्जर एवं जीर्ण–शीर्ण अवस्था में होने से आमजन को आवागमन में कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक वर्णित सड़क की मरम्मति कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ का प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त है। निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त कार्य प्रारम्भ किया जाएगा।

बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग 232(S)

ज्ञापांक : 6/पथ/अता0प्र0 (वि0स0) 08–31/2020 पटना, दिनांक : 12/1/2021
प्रतिलिपि : दो अतिरिक्त प्रतियों के साथ प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा को उनके ज्ञापांक 1155 दिनांक 06.05.2020 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उप सचिव (प्र०का०)
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

निबटान के बाद अ०प्र०शा०
15.

D:\Dhananjay\Letter\Atarankit prashn- Letter\Atarankit S.D.S.docx

माननीय श्री फैयाज अहमद, स०वि०स० से प्राप्त अतारांकित प्रश्न।

सं०:- पथ-22 :-

क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि पटना जिला के मीठापुर स्थित पटना-गया रेलवे लाईन गुमटी पर पटना-पुनपुन सड़क लेन को जोड़ने वाला आर०ओ०बी० विगत 5 वर्षों में बनकर पूरी तरह तैयार है;	वस्तुस्थिति यह है कि भूमि अधिग्रहण के कारण सड़क लेन (पहुँच पथ) का कार्य अभी नहीं हुआ है।
2. क्या यह बात सही है कि पटना-पुनपुर सड़क पर चिकित्सा नर्सिंग होम से लेबर कोर्ट तक राज्य सरकार द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाये जाने के कारण पहुँच पथ का निर्माण कार्य बाधित है;	अतिक्रमण के कारण नहीं बल्कि भूमि अधिग्रहण के कारण पहुँच पथ का निर्माण कार्य बाधित है।
3. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पटना-पुनपुन पथ में पहुँच पथ हेतु चिन्हित जमीन से अतिक्रमण हटाकर उसे कार्य एजेंसी को सौंपने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	उक्त पथ का निर्माण कार्य इरकॉन द्वारा किया जा रहा है, भूमि अधिग्रहण के कारण पहुँच पथ का निर्माण कार्य बाधित है। भूमि अधिग्रहण का कार्य पूर्ण होते ही पथ के लेन (पहुँच पथ) का कार्य इरकॉन द्वारा पूर्ण करा लिया जाएगा।

बिहार सरकार

पथ निर्माण विभाग 227(S)

ज्ञापांक : 6/पथ/अता०प्र० (वि०स०) 08-24/2020 पटना, दिनांक : 12/1/2021

प्रतिलिपि : दो अतिरिक्त प्रतियों के साथ प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा को उनके ज्ञापांक 1151 दिनांक 06.05.2020 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उप सचिव (प्र०को०)
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

D:\Dhananjay\Letter\Atarankit prashn- Letter\Atarankit S.D.S.docx

माननीय श्री शिवचन्द्र राम, स०वि०स० से प्राप्त अतारांकित प्रश्न। सं०:- पथ-21 :-

क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि वैशाली जिला के देसरी प्रखंड के चॉदपुरा से महुआ एवं विद्दुपुर से सराय तक निर्माणाधीन सड़क का निर्माण कार्य समाप्ति की अन्तिम तिथि के उपरान्त भी अभी तक निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हुआ है;	वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ का निर्माण कार्य फरवरी 2020 में ही पूर्ण किया जा चुका है।
2. क्या यह बात सही है कि अपूर्ण निर्मित सड़क टूट रहा है और इसकी मरम्मति एवं रख-रखाव भी नहीं हो रहा है;	
3. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त निर्माण कार्य की जाँच कराकर दोषी संवेदक पर कार्रवाई करते हुए निर्माण कार्य को पूर्ण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	

बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग 229(?)

ज्ञापांक : 6/पथ/अता०प्र० (वि०स०) 08-35/2020 पटना, दिनांक : 12/1/2021

प्रतिलिपि : दो अतिरिक्त प्रतियों के साथ प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा को उनके ज्ञापांक 1150 दिनांक 06.05.2020 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उप सचिव (प्र०को०)
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

D:\Dhananjay\Letter\Atarankit prashn- Letter\Atarankit S.B.S.docx

माननीय श्री फैयाज अहमद, स०वि०स० से प्राप्त अतारांकित प्रश्न।
सं०:- पथ-11 :-

क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिला के विस्फी प्रखण्ड अन्तर्गत विस्फी प्रखण्ड मुख्यालय से कमतौल तक की सड़क में 175 फीट सड़क का निर्माण कार्य अधूरा है, जिससे आवागमन में कठिनाई होती है;	वस्तुस्थिति यह है कि विस्फी कमतौल पथ में बलहाघाट के नजदीक 178 मी0 लम्बाई में पथ अधिग्रहण विवादित होने के कारण निर्माण कार्य नहीं किया जा सका है। विगत वर्ष 2019-20 में आयी बाढ़ के समय जिला प्रशासन एवं स्थानीय लोगों के सहयोग से उक्त स्थल को मोटरेबूल कराकर यातायात चालू करा दिया गया। उक्त चैनेज के निर्माण कार्य हेतु जमीन से संबंधित मामला उच्च न्यायालय, पटना में लंबित है। न्यायालय के आदेश मिलने के उपरान्त निर्माण कार्य करा लिया जाएगा।
2. यदि उपर्युक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार कबतक अधूरा पड़े 175 फीट सड़क का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	

बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

ज्ञापांक : 6/पथ/अता0प्र0 (वि0स0) 08-36/2020४५११(१ पटना, दिनांक : 21/01/21
प्रतिलिपि : दो अतिरिक्त प्रतियों के साथ प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा को उनके ज्ञापांक 1113 दिनांक 28.04.2020 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उप सचिव (मु0को0)। 21/01
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

[illegible] 15.

D:\Dhananjay\Letter\Atarankit prashn- Letter\Atarankit S.B.S.docx

माननीय श्री मुजाहिद आलम, स०वि०स० से प्राप्त अतारांकित प्रश्न।
सं०:– पथ–06 :–

क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

प्रश्न	उत्तर
1. क्य यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत किशनगंज–बहादुरगंज पथ में धनपुरा स्थित पुल जर्जर हो गया है, जिससे अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती है;	वस्तुस्थिति यह है कि किशनगंज जिलान्तर्गत किशनगंज–बहादुरगंज पथ में 16वें कि0मी0 में धनपुरा के पास पुल निर्माण की योजना, पथ निर्माण विभाग के वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए वार्षिक कार्य योजना (द्वितीय चरण) के क्रम सं0–20 पर सम्मिलित है। वर्णित योजना के लिए राशि रू0 906.00 लाख का डी0पी0आर0 प्रशासनिक स्वीकृति हेतु प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0 के पत्रांक–364 (अनु0) दिनांक–21.06.2019 द्वारा विभाग को प्राप्त है, जिस पर लोक वित्त समिति से प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त अग्रेत्तर कार्रवाई की जायेगी।
2. यदि उपर्युक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त पुल के स्थान पर नए पुल का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	

बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग 224(S)

ज्ञापांक : 6/पथ/अता0प्र0 (वि0स0) 08–13/2020 पटना, दिनांक : 12/1/2021

प्रतिलिपि : दो अतिरिक्त प्रतियों के साथ प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा को उनके ज्ञापांक 1092 दिनांक 28.04.2020 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उप सचिव (प्र0को0)
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

D:\Dhananjay\Latter\Atarankit prashn- Letter\Atarankit S.B.S.docx

माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, स०वि०स० से प्राप्त अतारांकित प्रश्न।
सं०:– पथ–03 :–

क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

प्रश्न	उत्तर
क्या यह बात सही है कि वैशाली जिलान्तर्गत राघोपुर प्रखण्ड के रूस्तमपुर से वीरपुर रूपस होते हुए ग्यासपुर घाट तक की 25.75 कि0मी0 पथ ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग में वर्ष 2016–17 में अधिग्रहण किया गया था, उक्त पथ अधिग्रहण के पश्चात् अभी तक कार्य शुरू भी नहीं होने से एकमात्र सड़क बदहाल स्थिति में है, यदि हाँ तो सरकार कबतक उक्त पथ का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	वस्तुस्थिति यह है कि प्रशासनिक स्वीकृति विभागीय पत्रांक–5007 (एस) दिनांक–01.09.2020 द्वारा दी जा चुकी है, अग्रेत्तर कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग 225(S)

ज्ञापांक : 6/पथ/अता0प्र0 (वि0स0) 08–45/2020 पटना, दिनांक : 12/1/2021

प्रतिलिपि : दो अतिरिक्त प्रतियों के साथ प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा को उनके ज्ञापांक 1626 दिनांक 07.08.2020 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उप सचिव (स०को०)
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

D:\Dhananjay\Letter\Atarankit prashn Letter\Atarankit S B S.docx

श्री मुजाहिद आलम, स०वि०स० के द्वारा पूछा जानेवाला अतारांकित प्रश्न संख्या–पन–02 का उत
सामग्री :–

	प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
	श्री मुजाहिद आलम, स०वि०स०	श्री मुकेश सहनी, माननीय मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
	क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	
(क)	क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत किशनगंज प्रखण्ड के पलवा पंचायत के छगलया ग्राम निवासी श्रीमती उमेशा खातुन पति श्री अताबुर रहमान का चयन वित्तीय वर्ष 2017–18 में राज्य योजनान्तर्गत निजी क्षेत्र में Goat Farm की स्थापना हेतु हुआ था;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि श्रीमती उमेशा खातुन को 2017–18 में समेकित बकरी विकास योजना अन्तर्गत 40 बकरी + 02 बकरा क्षमता के फार्म निर्माण के लिए अनुदान की योजना हेतु क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, पूर्णियाँ के पत्रांक–278, दिनांक–06.04.2018 द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी।
(ख)	क्या यह बात सही है कि उक्त योजना के तहत श्रीमती खातून द्वारा बकरी शेड निर्माण, 40 बकरी + 02 बकरा की खरीद एवं IDBI बैंक ऋण लेने एवं जानवरों का Insurance कराने के बावजूद अभी तक जिला पशुपालन पदाधिकारी, किशनगंज द्वारा अनुदान का भुगतान नहीं किया गया है;	वस्तुस्थिति यह है कि लाभूक द्वारा फर्म निर्माण के पश्चात् जिला पशुपालन पदाधिकारी, किशनगंज के प्रतिवेदन के आधार पर श्रीमती उमेशा खातुन को पत्रांक–10/ नि0 (बक0प0) 05/2018–4022 (नि0) दिनांक–13.12.2018 द्वारा [illegible] चयनित लाभूकों के साथ अनुदान भुगतान की इस शर्त के साथ स्वीकृति दी गई कि संबंधित क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन से निदेशालय को अनुशंसा पत्र प्राप्त होने के उपरान्त लाभूक को राशि का भुगतान किया जाय। क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, पूर्णियाँ द्वारा समीक्षा [illegible] में फार्म निर्माण मानक अनुरूप नहीं पाया गया एवं जिला पशुपालन पदाधिकारी, किशनगंज को पुनः स्थल निरीक्षण कर प्रतिवेदित करने को कहा गया। इसीक्रम में लाभूक द्वारा निर्माण से संबंधित कुछ त्रुटियाँ सुधार की गयी एवं शेड निर्माण भी 1000 वर्ग फीट से बढ़ाकर 1100 वर्ग फीट कर लिया गया। जिला पशुपालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर संशोधित अनुदान राशि भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गयी तथा राशि भुगतान हेतु परियोजना निदेशक, बी०एल०डी०ए० पटना को निदेशित किया गया। इस बीच स्थल निरीक्षण [illegible] में जिला पशुपालन पदाधिकारी, किशनगंज के पत्रांक–1932, दिनांक–19.10.2019 द्वारा सूचना दी गयी कि श्रीमती खातुन द्वारा निर्मित बकरी फार्म को पूर्णतः हटा दिया गया है। उक्त सूचना को

उत्तर प्राप्त
[illegible] विधान सभा [illegible] के बाद प्राप्त |

		सम्पुष्टि हेतु क्षेत्रीय निदेशक को निदेशित किया गया। जाँचोपरान्त क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, पूर्णियाँ के पत्रांक–953, दिनांक–23.10.2019 द्वारा उपलब्ध कराये गये जाँच प्रतिवेदन में भी इस बात की सम्पुष्टि हुई कि फार्म निर्माण स्थल पर न तो फार्म का कोई अवशेष मौजूद था और न ही बकरियाँ मौजूद थी। उक्त के आलोक में निदेशालय के पत्रांक–4164 (नि०), दिनांक–11.11.2019 द्वारा आवेदिका श्रीमती खातुन का निर्गत स्वीकृति पत्र रद्द करने तथा आवेदिका पर नियमानुकूल कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, पूर्णियाँ को निदेश दिया गया है। क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, पूर्णियाँ के पत्रांक–1066 दिनांक–20.11.2019 के द्वारा आवेदिका श्रीमती खातुन का चयन रद्द कर दिया गया।
(ग)	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त लाभार्थी को योजना के तहत कब तक अनुदान (Subsidy) की राशि भुगतान करने का विचार रखती है, नहीं तो क्या?	उपर्युक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

बिहार सरकार

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

ज्ञापांक–6 वि०स० (4) 67/2019–3388/ पटना–15, दिनांक–22/12/2020

प्रतिलिपिः–प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना को ज्ञाप सं० प्र०– 27 वि०स० दिनांक–30.07.2019 के प्रसंग में पाँच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अरुण कुमार) 22/12/2020

उपाधीक्षक, पशुगणना

श्री सदानन्द सिंह, मा0स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–93 (लघु–05)का उत्तर प्रतिवेदनः–

श्री सदानन्द सिंह, मा0स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–93 (लघु–05) क्या मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः–	श्री संतोष कुमार सुमन, माननीय मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, द्वारा दिया जाने वाला उत्तरः–
(क) क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला के सन्हौला एवं गोराडीह प्रखण्ड में जल–जीवन–हरियाली योजना अन्तर्गत 10 योजनाओं का कार्य प्रारंभ किया गया है;	आंशिक स्वीकारात्मक। सन्हौला एवं गोराडीह प्रखंड में कुल नौ योजनाओं पर कार्य किया गया है।
(ख) क्या यह बात सही है कि उक्त योजनाओं में से 1. अरताप पोखर के जीर्णोद्धार का कार्य , 2. कुकुरमारी पोखर के जीर्णोद्धार का कार्य, 3. दिग्धी गंगटा पोखर का जीर्णोद्धार कार्य, 4. घोरसार पोखर के जीर्णोद्धार का कार्य एवं अन्य योजनाओं में कार्य स्थल पर तकनीकी अभियंताओं के निरीक्षण के अभाव में काफी त्रुटिपूर्ण कार्य किये जा रहे हैं। इसकी शिकायत मैंने विभाग को स्वयं पत्र द्वारा किया है;	अस्वीकारात्मक। वर्णित चारों योजनाओं का जीर्णोद्धार कार्य किया गया है। इन योजनाओं में मुख्यतः मिट्टी खुदाई कार्य है। कार्य के पूर्व इन पोखरों का Pre-level लिया गया, जिसकी जाँच मनरेगा के अभियंता से कराया गया। Pre-level को MWRD के विभागीय पोर्टल पर Upload किया गया है। कार्य प्रारंभ होने के पूर्व स्थल का फोटोग्राफ भी लेकर अपलोड किया गया है। उसके पश्चात् कार्य प्रारम्भ कराया गया है। कार्य के दौरान का फोटोग्राफ भी विभागीय पोर्टल पर अपलोड है। कार्य के बाद Post Level लिया गया है। M.B के साथ Post Level भी अपलोड किया गया है। मिट्टी काय के अलावे इन पोखरों में Inlet एवं Outlet का निर्माण का भी प्रावधान है। दो पोखरों में Inlet/Outlet निर्माण पूर्ण हो गया है। कार्य के दौरान कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता नियमित रूप से स्थल का निरीक्षण करते रहे है। साथ ही कार्यपालक अभियंता के साथ मुख्य अभियंता द्वारा भी स्थलों का निरीक्षण कार्य के दौरान किया गया है। निरीक्षण प्रतिवेदन विभागीय पोर्टल पर अपलोड किया गया है। जिलाधिकारी, भागलपुर द्वारा गठित तकनीकी जाँच टीम द्वारा भी दिनांक–15.06.2020 को स्थल जाँच किया गया है। माननीय सदस्य की शिकायत पर प्रश्नगत योजनाओं की जाँच करने हेतु मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग भागलपुर को पत्रांक–1678 (मो0) दिनांक–04.09.2020 द्वारा लिखा गया है।
(ग) यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त योजनाओं की तकनीकी जाँच कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कब तक, नही तो क्यों?	उपरोक्त खण्ड में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

बिहार सरकार

लघु जल संसाधन विभाग

ज्ञापांकः–प्र0–4/ल0ज0सं0/वि0स0/तारां0–179/20 4753 /पटना, दिनांकः– 17/12/20

प्रतिलिपिः–प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा को उनके पत्रांक–1552 दिनांक–27.07.2020 के क्रम में (पाँच प्रतियों में) सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

17/12

सरकार के अवर सचिव

d:\b-v-s-3-07-20-6-7-20\laghu-\q-93.docx

श्री सदानन्द सिंह, मा0स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–91 (लघु–04) का उत्तर प्रतिवेदनः–

श्री सदानन्द सिंह, मा0स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–91 (लघु–04) क्या मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	श्री संतोष कुमार सुमन, माननीय मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, द्वारा दिया जाने वाला उत्तरः–
(क) क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला के सन्हौला प्रखण्ड अन्तर्गत पत्नी बांध योजनान्तर्गत नदी के मुड़ाव भाग से एक पईन निकलती है;	स्वीकारात्मक।
(ख) क्या यह बात सही है कि पईन गहरी होने के कारण वहां की आम जनता को सिंचाई सुविधा में अत्यधिक कठिनाईयों का समना करना पड़ता है;	आंशिक स्वीकारात्मक। वर्त्तमान में कृषक डीजल पम्प सेट से नदी का पानी लिफ्टकर पटवन करते हैं।
(ग) यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त उद्भव स्थल पर सिंचाई योजना का निर्माण कर किसानों को सिंचाई सुविधा बहाल करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक नहीं तो क्यों?	वर्णित योजना भागलपुर जिला के सन्हौला प्रखंड के बथानी पंचायत में भूराखाप गाँव के पास है। बाँध गहिरा नदी के यू–टर्न के बीच में मिट्टी बहुत ही अल्प भाग में है। ऐसे मुड़ाव का घुमावदार नदी के बिन्दु पर कोई भी संरचना बनाने से सरंचना का अस्तित्व पूर्णतः विलुप्त हो सकता है। अतएव तकनीकी दृष्टिकोण से प्रस्तावित बाँध बिन्दु पर कोई भी सरंचना सही नहीं होगा। मुड़ाव बिन्दु से एक पईन निकली है, जिसमें उद्वह सिंचाई योजना का अधिस्ठापन कर पईन को पुनर्जिवित किया जा सकता है, तथा किसानों को लाभ मिल सकता है। चूँकि प्रस्तावित स्थल एन0एस0एल0 से नदी तल लगभग 20 फीट गहरा है तथा 200 फीट से भी अधिक चौड़ी नदी है। यहाँ उद्वह सिंचाई योजना से ही पईन को जलापूर्ति देने पर किसानों को लाभ मिलेगा। उक्त स्थल पर उद्वह सिंचाई योजना हेतु विस्तृत सर्वेक्षण कराकर डी0पी0आर0 तैयार कराया जायगा तथा विहित प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जायगी।

बिहार सरकार
लघु जल संसाधन विभाग

ज्ञापांकः–प्र0–4/ल0ज0सं0/वि0स0/तारां0–178/20 4748 /पटना, दिनांकः– 17/12/20

प्रतिलिपिः–प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा को उनके पत्रांक–1551 दिनांक–27.07.2020 के क्रम में (पाँच प्रतियों में) सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

17/12

सरकार के अवर सचिव

d:\b-v-s--3-07-20--6-7-20\laghu-\q-91.docx

श्री कुमार सर्वजीत, मा0स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–36 (लघु–02) का उत्तर प्रतिवेदनः–

श्री कुमार सर्वजीत, मा0स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–36 (लघु–02) का क्या मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः–	श्री संतोष कुमार सुमन माननीय मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, द्वारा दिया जाने वाला उत्तरः–
(क) क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत बोधगया विधान सभा के फतेहपुर प्रखंड के उरैना–नगमा पईन हदहदवा पईन एवं मनहोना–चन्दन बांध की सफाई हेतु प्रश्नकर्ता सदस्य के पत्रांक–07/आ., दिनांक–10.12.2015 द्वारा माननीय मुख्यमंत्री सचिवालय एवं मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग को पत्र लिखा गया एवं इसके अतिरिक्त चार बार स्मारित करने के बावजूद आज तक पईन की सफाई नहीं की गई है;	आंशिक स्वीकारात्मक। प्रश्नागत योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु स्वीकृति की जा चुकी है।
(ख) यदि हां तो सरकार कबतक उक्त पईन की सफाई कराने का विचार रखती है, नही तो क्यों?	गया जिलान्तर्गत बोधगया विधान सभा क्षेत्र के फतेहपुर प्रखण्ड के अन्तर्गत नगमा उरैना आहर पईन सिंचाई योजना की निविदा निष्पादन के पश्चात् क्रियान्वयन कराया जायगा। चन्दन मनहोना आहर पईन सिंचाई योजना का निविदा आमंत्रण किया गया था। परन्तु इस योजना में भलुई पहाड़ी से बसुआ तक पईन की भूमी जंगल भाग में पड़ने के कारण वन प्रमण्डल, गया से अनपत्ती प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु अनुरोध किया गया है। तथा अनापत्ति के अभाव में योजना को स्थगित किया गया है। हदहदवा आहर पईन सिंचाई योजना का सर्वेक्षण कार्य कराकर डी0पी0आर तैयार कराया जा रहा है। विहित प्रक्रिया के तहत अग्रेत्तर कार्रवाई की जायेगी।

बिहार सरकार
लघु जल संसाधन विभाग

ज्ञापांकः–प्र0–4/ल0ज0सं0/वि0स0/तारां0–173/20 4738 /पटना, दिनांकः– 17/12/20

प्रतिलिपिः–प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा को उनके पत्रांक–1533 दिनांक–23.07.2020 के क्रम में (पाँच प्रतियों में) सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

17/12

सरकार के अवर सचिव

d:\b-v-s-3-07-20--6-7-20\laghu-\q-36.docx

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

मो० तौसीफ आलम, माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा द्वारा दिनांक 05.08.2020 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं०–पंच–1 का उत्तर

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, पंचायती राज विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	श्रीमती रेणु देवी, माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।
1. क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत बहादुरगंज प्रखंड के गोआबाड़ी पंचायत में पंचायत सरकार भवन नहीं है जिसके कारण उक्त पंचायत से संबंधित योजनाओं के कार्यान्वयन सहित महत्वपूर्ण बैठक आदि आयोजन में कठिनाई होती है, यदि हाँ तो सरकार कब तक उक्त पंचायत में पंचायत सरकार भवन का कराने का विचार रखती हैं, नहीं तो क्यो ?	स्वीकारात्मक। जिलाधिकारी, किशनगंज के पत्रांक–764 दिनांक 01.09.2020 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि विभागीय मार्गदर्शिका के अनुसार पंचायत सरकार भवन आवंटित करने हेतु 6–6 पंचायतों का कलस्टर बनाया गया है। इस जिला में कुल 126 पंचायतों के विरूद्ध 21 कलस्टर बनाये गये हैं। वर्ष 2019–20 से पूर्व प्रत्येक कलस्टर में एक–एक पंचायत सरकार भवन निर्मित है। वर्ष 2019–20 के लिए भी प्रति कलस्टर एक–एक पंचायत सरकार भवन चयनित करने का निदेश प्राप्त है। वर्ष 2019–20 के लिए अबतक कुल 17 (सतरह) पंचायतों से भूमि उपलब्ध कराई गई, उनमें पंचायत सरकार भवन स्वीकृत है, जिसका निर्माण कार्य प्रारम्भ हो चुका है, शेष 04 (चार) कलस्टर में भूमि की तलाश की जा रही है। ग्राम पंचायत गुआबाड़ी कलस्टर सं0–10 में सन्निहित हैं। इस कलस्टर से ग्राम पंचायत ईकड़ा (दिघलबैंक प्रखंड) में 2019–20 के लिए भूमि का प्रस्ताव प्राप्त हुआ, फलतः उस कलस्टर से ईकड़ा ग्राम पंचायत में पंचायत सरकार भवन स्वीकृत है। ग्राम पंचायत गुआबाड़ी से अबतक भूमि का प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। भूमि का प्रस्ताव प्राप्त होने पर अग्रतर कार्रवाई की जायेगी।

ज्ञापांकः–2प / वि०स०–1–16 / 2020 / 8303 / पं०रा०　　　　　　पटना, दिनांकः 30/12/2020

प्रतिलिपिः–प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय पटना को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–1534 वि0स0 दिनांक 23.07.2020 के संदर्भ में पांच अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुश्रवण पदाधिकारी
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–2प / वि०स०–1–16 / 2020 / 8303 / पं०रा०　　　　　　पटना,दिनांकः 30/12/2020

प्रतिलिपिः–विशेष सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को उनके गै0स0प्रे0 सं0–2264 दिनांक 28.12.2020 के संदर्भ सूचनार्थ प्रेषित।

अनुश्रवण पदाधिकारी
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

श्री शिवचन्द्र राम, माननीय स०वि०स० द्वारा बिहार विधान सभा के पंचदश सत्र में दिनांक–26.03.2020 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–पन–33 का उत्तर :–

प्रश्नकर्त्ता		उत्तरदाता
श्री शिवचन्द्र राम, माननीय स०वि०स०		डॉ० प्रेम कुमार, माननीय मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना।
प्रश्न		उत्तर
क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		
(क)	क्या यह बात सही है कि वैशाली जिला सहित राजापाकर, देसरी सहदेई बुजुर्ग प्रखंड में पशु चिकित्सालय में पशु चिकित्सक एवं अन्य कर्मियों के आभाव में पशुपालक अपने मवेशी का इलाज निजी पशु चिकित्सक से कराते हैं एवं इसके एवज् में अधिक पैसे खर्च करना पड़ता है; यदि हाँ तो सरकार तीनों प्रखंडों में स्थित पशु चिकित्सा केन्द्र में डॉक्टर एवं अन्य कर्मियों का पदस्थापन कराने का विचार रखती है नहीं तो क्यों ?	अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि वैशाली जिलान्तर्गत सहदेई बुजुर्ग प्रखंड में विभागीय अधिसूचना संख्या–769–सह–पठित ज्ञापांक–770 दिनांक–07.03.2019 द्वारा डा0 शशि रंजन का पदस्थापन किया गया है। डा0 शशि रंजन, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी, सहदेई बुजुर्ग के अतिरिक्त प्रभार में है एवं सप्ताह में तीन दिन (मंगलवार, गुरूवार एवं शनिवार), को प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी का कार्य देखते हैं। शेष दिन चिकित्सालय में कार्य सम्पादन करते हैं। वैशाली जिलान्तर्गत राजापाकर प्रखंड में विभागीय अधिसूचना संख्या–770, दिनांक–07.03.2019 द्वारा डा0 संजीव कुमार सिन्हा का पदस्थापन किया गया है जो चिकित्सालय में सातों दिन कार्य सम्पादन कर रहे हैं। राजापाकर प्रखंड में प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी का पद स्वीकृत नहीं है। वैशाली जिलान्तर्गत देसरी प्रखंड में विभागीय अधिसूचना संख्या–770, दिनांक–07.03.2019 द्वारा डा0 मोटे आदिति हनुमंत राव का पदस्थापन किया गया है जो चिकित्सालय में सातों दिन कार्य सम्पादन कर रहे हैं। देसरी प्रखंड में प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी का पद स्वीकृत नहीं है। साथ ही उक्त प्रखंडों में अन्य कर्मी भी पदस्थापित है। इसलिए उक्त प्रखंडों में स्थित पशु चिकित्सा केन्द्र में पशु चिकित्सकों एवं अन्य कर्मी का पदस्थापन करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

बिहार सरकार

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

ज्ञापांक–6 वि०स० (4) 35/2020 2 /2 / पटना–15, दिनांक 09/10/3/2020

प्रतिलिपिः–प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना को ज्ञाप सं०प्र०–1026 वि०स० दिनांक–05.03.2020 के प्रसंग में पाँच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उत्तर प्राप्त
15
प्रोडक्ट वि० मू० मंगाकुवाद

(वसीम अहमद) 9/3/2020

सरकार के उप सचिव।

श्री मुजाहिद आलम माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–16.03.2020 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–गृह–117 का उत्तर :–

क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि		श्री राम सूरत कुमार, मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
क्र0	प्रश्न	उत्तर
(क)	क्या यह सही है कि किशनगंज जिले के किशनगंज प्रखंड अंतर्गत बरारो कब्रिस्तान की भूमि को सैरात मुक्त हेतु प्रस्ताव प्रमण्डलीय आयुक्त, पूर्णियाँ को भेजे हुए सात भर से अधिक हो गया है, परन्तु अभी तक उक्त कब्रिस्तान की भूमि सैरात मुक्त नहीं हो पा रही हैं, जबकि ये अतिसंवेदनशील कब्रिस्तान है जहां पूर्व में कई बार विवाद हो चुका है, यह हाँ तो सरकार बरारो कब्रिस्तान की भूमि को सैरात मुक्त कब तक कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	अस्वीकारात्मक। प्रश्नगत भूमि रूईमहाल सैरात की है, जिसके एक हिस्से को कब्रिस्तान के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। वर्तमान में भूमि की प्रकृति बदल जाने के कारण इसे स्थायी परता घोषित कराने एवं इसे सैरात की भूमि से मुक्त कराने की कार्रवाई की जा रही है। जिला योजना कार्यालय, किशनगंज द्वारा इस भूमि की घेराबंदी कराने की कार्रवाई भी की जा रही है।

अनुपूरक सामग्री

किशनगंज अंचल के मौजा–बरारो, थाना नं0–80, खाता नं0–62, खेसरा नं0–197, कुल 6.70 लाख एकड़ भूमि को लेकर आए दिन उत्पन्न हो रहे विवाद एवं इस सम्बन्ध में स्थानीय जन–प्रतिनिधियों तथा आम जनता से प्राप्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, किशनगंज से स्थलीय जाँच कराकर उक्त विवरण की सैरात की भूमि को सैरात की सूची से मुक्त कराने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक–1515/जि0रा0, दिनांक–22.11.17 के द्वारा प्रस्ताव आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ को भेजा गया था।

आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ के पत्रांक–259, दिनांक–07.02.2018 के द्वारा विभागीय पत्रांक–1388/रा0, दिनांक–01/02 जुलाई, 1981 के आलोक में सर्वप्रथम बरारों रूई महाल सैरात को परता घोषित करने हेतु प्रस्ताव भेजने का निदेश प्राप्त हुआ।

तदालोक में उक्त विभागीय पत्र में निहित शर्तों के अनुरूप बरारो रूई महाल सैरात को स्थायी परता घोषित कराने हेतु प्रस्ताव इस कार्यालय के पत्रांक–1760/जि0रा0, दिनांक–30.12.2018 द्वारा आयुक्त के सचिव, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ को पुनः भेजा गया।

3/1/3/20
15

D:\Shail seccn-9\2020\Answer\Mujahid Alam.doc

(3)

बिहार विधान सभा के चलते अधिवेशन में दिनांक–23.03.2020 को श्री अमित कुमार, माननीय स0वि0स0 द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या–अ–19 की उत्तर सामग्री :–

तारांकित प्रश्न	उत्तर
1	2
क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला अंतर्गत रीगा, सुप्पी, मेजरगंज एवं बैरगनिया प्रखंड के कुछेक क्षेत्रफल अनुमंडल कार्यालय से काफी दूरी रहने के कारण वहां की आम जनता को प्रशासनिक सुविधा समय पर नहीं मिल पाता है, जबकि रीगा से उक्त प्रखंड की दूरी भी काफी कम है।	उत्तर अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि सीतामढ़ी सदर अनुमंडल मुख्यालय से प्रखंड मुख्यालय रीगा की दूरी लगभग 17 कि0मी0 है, प्रखंड मुख्यालय सुप्पी की दूरी लगभग 25 कि0मी0 है, प्रखंड मुख्यालय मेजरगंज की दूरी लगभग 34 कि0मी0 एवं प्रखंड मुख्यालय बैरगनिया की दूरी लगभग 40 कि0मी0 है। इन प्रखंड मुख्यालयों में जाने हेतु अच्छी सड़क है। आम जनता को आवश्यक सेवाएँ एवं प्रशासनिक सुविधा ससमय उपलब्ध हो जाती है।
यदि हाँ, तो सरकार उक्त प्रखंड की आम जनता को ससमय प्रशासनिक सुविधा उपलब्ध कराने हेतु रीगा में अनुमंडल कार्यालय की स्थापना कराने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	रीगा में अनुमंडल कार्यालय की स्थापना कराने का सम्प्रति कोई प्रस्ताव नहीं है।

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

ज्ञापांक–20/ वि0स0–03(सीतामढ़ी)–07/2020 सा0प्र0 11588 /पटना–15, दि0 7-12-2020

प्रतिलिपिः–(सात प्रतियों में) प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय, बिहार, पटना को उनके ज्ञाप सं0–684 दिनांक–03.03.2020 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/ 7.12.2020

(कन्हैया लाल साह)
सरकार के अवर सचिव।

बिहार विधान सभा सचिवालय
प्राप्ति तिथि: 09/12/2020
केन्द्रीय डाक सं0: 6222

3/12/11
15